बीस रुपये TWENTY RUPEES

(38)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैंप, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /2015/निगरानी प्रकरण 1468-II-15 निगरानी

कमलाबाई विधवा शंकरलाल, आयु-लगभग 65वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-जयवंतपुर तहसील व जिला उज्जैन ....प्रार्थी

विरूद्ध

1. रामभक्त शर्मा पिता स्व. भगवानसहाय शर्मा, निवासी-80, एल.आई.जी. सेकंड इंदिरानगर, उज्जैन (म.प्र.)

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, कोठी महल उज्जैन

3. नायब तहसीलदार तहसील, उज्जैन संबंधित ग्राम जयवंतपुर परगना, उज्जैन ......प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रार्थी की और से निगरानी आवेदन पत्र आदेश अधीनस्थ माननीय न्यायालय तहसीलदार तहसील उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रं. 862/बी-121/2014-15 प्रकरण उन्वान आवेदन रामभक्त शर्मा विरूद्ध लीलाबाई आदि अनावेदक में दिये प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 01/06/2015 के विरूद्ध निगरानी अंदर अवधि में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, अधीनस्थ माननीय न्यायालय तहसील में प्रकरण क्रं. 862/बी-121-2014-15 विचाराधीन है। इस प्रकरण में प्रतिप्रार्थी रामभक्त शर्मा के द्वारा एक आवेदन पत्र धारा-168 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में द्वितीय अपील क्रं. 255/99 में दिनांक 18/11/2014 को अंतिम निर्णय पारित करते हुए निर्णय की अंतिम पद संख्या में यह उल्लेखित किया है कि यदि वादीगणों से (इस निगरानी के प्रार्थी से) आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है तो वेसी देशा में म.प्र.भू-राजस्व संहिता अन्यथा अन्य

निरंतर 2

R1468-II/15 उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-06-15	आवेदक की ओर से श्री प्रकाश वाटिया अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण को आगे चलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण Not Press में समाप्त कर दिया जावे। विचार किया। विचारोपरान्त प्रकरण आवेदक अधि. के निवेदन पर Not Press में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	Not Press प्रकाश [illegible] Ad[illegible] 16 [illegible]